कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ0प्र0)

☎ 05446–252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 3417 / रेनुकूट / 15–26 दिनांक,रेनुकूट,अप्रैल, 29 ,2022

सेवा में,

श्री विवेक कुमार,(हेड लीगल)
मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0
रेनुकूट–सोनभद्र ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अंतर्गत मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को 132 के0बी0 विद्युत पारेषण लाइन के खम्भे आदि लगाने हेतु पूर्व में पट्टे पर दी गयी 6.394 हे0 आरक्षित वनभूमि की लीज को पुनः 25 वर्षों हेतु दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2047 तक नवीनीकरण किये जाने के संबंध में।

संदर्भः–
1–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या–2038/11–सी, FP/UP/TRANS/140402/2021 लखनऊ दिनांक–24.03.2022
2–इस कार्यालय का पत्रांक– 2917/रेनुकूट/15–26 दिनांक– 25.03.2022
3–आपका पत्र दिनांक– 05.04.2022
4–इस कार्यालय का पत्रांक– 3157/रेनुकूट/15–26 दिनांक– 08.04.2022
5–संस्थान का पत्र दिनांक– 22.04.2022

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने का कष्ट करे । प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक– 24.03.2022 द्वारा 14 बिन्दुओ पर इंगित की गयी कमियों का बिन्दुवार निराकरण कराने के उपरान्त आपके संदर्भित पत्र दिनांक– 05.04.2022/22.04.2022 द्वारा प्रस्ताव की तीन प्रति उपलब्ध कराया गया है , जिसके परीक्षणोपरान्त पुनः कमियाँ/अभिलेखों का अभाव पाया गया है :–

क्र0सं0	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या–2038/11–सी, FP/UP/TRANS/140402/2021 लखनऊ दिनांक–24.03.2022 में इंगित कमियो का विवरण ।	संस्थान के संदर्भित पत्र दिनांक– 05.04.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना के अवलोकनोपरान्त जिन बिन्दुओ पर कार्यवाही अपेक्षित है या पूर्ण नही की गयी है उसका विवरण ।
1	2	3
1	प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक–343/11–सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में संलग्न किया गया प्रमाण पत्र मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	–
2	प्रस्ताव में DSS Analysis से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा जारी किया गया DSS Analysis से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है।	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में संलग्न किये जाने वाले समस्त अभिलेखो को प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर से तैयार कराते हुए संलग्न किया जाता है । अतः प्रश्नगत प्रकरण में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्रो का अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उ0प्र0, लखनऊ/रिमोट सेसिंग लखनऊ से DSS Analysis सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नही किया गया है जिसे संलग्न किया जाय ।
3	प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण के संबंध में	इस बिन्दु में उल्लिखित कमियो के निराकरण करने हेतु प्रश्नगत ट्रान्समिशन लाईन के प्रारम्भिक

Scanned with CamScanner

	प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत पारेशण लाइन के नीचे पूर्व से प्राकृतिक एवं रोपित पौधे उपलब्ध है, जिसमें पुनः बौने (औषधीय) पौधों का वनीकरण किया जाना नियमानुसार संभव नहीं है। अतः उपरोक्त स्थल का सत्यापित कलर फोटोग्राफ संलग्न किया जाये।	बिन्दु, मध्य बिन्दु एवं अन्तिम बिन्दु का ए–4 साईज का कलर फोटोग्राफ्स तैयार कराते हुए उस पर उस स्थान का पिलर संख्या/जी0पी0एस0 अंकित करते हुए प्रयोक्ता अभिकरण एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी पिपरी के हस्ताक्षरोपरान्त संलग्न किया जाना है जो नही किया गया है ।
4	प्रस्ताव में संलग्न अभिलेखों में प्रथम लीज अवधि दिनांक 01.04.1972 से दिनांक 31.03.1997 तक का उल्लेख है। प्रथम लीज की प्रारम्भ तिथि 01.04.1972 किस आधार पर ली गयी है। इससे सम्बन्धित कोई भी साक्ष्य प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। संलग्न करें।	–
5	हार्डकापी भाग–2 में प्रथम लीज अवधि दिनांक 09.08.1972 से दिनांक 08.08.1997 तक तथा द्वितीय लीज अवधि दिनांक 01.04.1997 से दिनांक 31.03.2022 तक का उल्लेख है। उपरोक्त से यह विदित होता है कि प्रथम लीज अवधि दिनांक 08.08.1997 को समाप्त होने से पूर्व ही द्वितीय लीज अवधि दिनांक 01.04.1997 से प्रारम्भ हो गयी। ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया है। यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अतः इससे सम्बन्धित अभिलेख/साक्ष्य प्रस्ताव में संलग्न कर स्पष्ट करें।	–
6	प्रस्ताव में पूर्व का त्रुटिपूर्ण ऑनलाइन पार्ट–2 संलग्न है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।	–
7	प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक की संस्तुति का भाग–3 मूल में संलग्न नहीं है।	–
8	वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र प्रस्ताव में सम्मिलित न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में आशय स्पष्ट नहीं है। अतः स्पष्ट प्रमाण पत्र संलग्न करें।	–
9	हार्डकापी भाग–2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित विवरण आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः विवरण का उल्लेख करते हुये पूर्ण हार्डकापी भाग–2 प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	–
10	हार्डकापी भाग–2 में मूल लीज का आदेश सं0–4050/14–2–794/72, दिनांक 09.08.1997 तथा प्रस्ताव में संलग्न आदेश में उक्त दिनांक 02.09.1972 एवं 01.09.1972 अंकित कर ओवर राइटिंग की गयी है, जिससे आदेश जारी होने की तिथि भ्रामक है। अतः सही लीज का आदेश संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड किया जाये।	–
11	प्रस्ताव में संलग्न अभिलेखों में प्रथम लीज का आदेश सं0–4887(2)/14–2–794/72, दिनांक 02.09.1972 का उल्लेख है, जबकि प्रस्ताव में इस आदेश सं0 का कोई आदेश संलग्न नहीं किया गया है। अतः स्थिति स्पष्ट कर संलग्न करें।	–
12	प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–18 एवं 38 में भारत सरकार के आदेश सं0 का दिनांक 06.10.2002 अंकित है, जोकि गलत है। अतः सही दिनांक अंकित कर संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग–2 से पूर्व का डिलिट कर ऑनलाइन अपलोड करें।	–
13	उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण करने के उपरान्त संशोधित प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ तथा ऑनलाइन में अपलोड किये गये त्रुटिपूर्ण अभिलेखों को डिलिट कर उपरोक्तानुसार संशोधित अभिलेखों को ऑनलाइन अपलोड करें।	उपरोक्त निराकरण के उपरान्त प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ एवं संशोधित समस्त सूचना/अभिलेखो की 2 अतिरिक्त प्रतियाँ उपलब्ध कराया जाय ऑन लाईन पार्ट–। की प्रति सहित उपलब्ध कराया जाय ।

Scanned with CamScanner

	संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्तावों में संलग्न करें।	उपरोक्त निराकरण कराने के उपरान्त संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राईव मे अपलोड कराते हुए पेनड्राईव तीनो प्रस्तावो में तथा उसके अतिरिक्त 2 अलग पेनड्राईव जिसमे अभिलेख अपलोड हो उसकी प्रति उपलब्ध कराया जाय । उपलब्ध कराये गये पेनड्राइव अद्यतन नही पाया गया ।

उपरोक्त समस्त बिन्दुओ में इंगित की गयी कमियो के निराकरण के उपरान्त ही प्रस्ताव उच्च स्तर पर प्रेषित करने हेतु प्रभाग में उपलब्ध कराने का कष्ट करे । अधूरा प्रस्ताव उपलब्ध कराने से अनावश्यक रूप से विलम्ब होता है ।

संलग्नकः–प्रस्ताव की 3 प्रति मूल में ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

Scanned with CamScanner